बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-11/आ०4-1015/2026- 1042 पटना, दिनांक- 19/5/26

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता अंचल, दरभंगा के पत्रांक-670, दिनांक-19.05.2026 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभागीय प्रधान सचिव-सह-प्रभारी सचिव, दरभंगा द्वारा जिला अन्तर्गत हायाघाट के सिधौली पंचायत में दिनांक-19.05.2026 को "सहयोग शिविर" में आमजनों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में ग्राम पंचायत सिधौली के मुखिया द्वारा यह बताया गया कि वार्ड संख्या-01 एवं 02 में रोड एवं नाला निर्माण के क्रम में पाईप लाईन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जलापूर्त्ति बाधित है। जलापूर्त्ति के बंद रहने के संबंध में जब संबंधित कनीय अभियंता सुश्री कीर्ति शर्मा से पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

02. MIS Portal पर Upload किये गए Zero Office Day के तहत की गयी जाँच प्रतिवेदन से विदित होता है कि सुश्री शर्मा द्वारा लगभग 15 माह की पदस्थापन अवधि में ग्राम पंचायत सिधौली के वार्ड संख्या-02 से संबंधित योजना का निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि वार्ड संख्या-01 से संबंधित योजना का निरीक्षण सुश्री शर्मा द्वारा 10 माह पूर्व किया गया है, जिसमें उनके द्वारा योजना की स्थिति संतोषप्रद एवं चालू दर्शायी गयी है। साथ ही सुश्री शर्मा द्वारा MIS Portal पर आच्छादन क्षेत्र में गृह जल संयोजन से छुटे हुए घरों की संख्या 11 एवं गृह जल संयोजन के बावजूद जलापूर्त्ति से वंचित घरों की संख्या-11 से संबंधी प्रविष्टि की गयी है। प्रखंड अन्तर्गत संचालित योजनाओं का नियमित निरीक्षण कनीय अभियंताओं के स्तर से किया जाना है, परन्तु सुश्री शर्मा के स्तर से अपने लगभग 15 माह की पदस्थापन अवधि में वार्ड संख्या-02 से संबंधित योजना का निरीक्षण नहीं किये जाने एवं वार्ड संख्या-01 में दो बार योजना के निरीक्षण किये जाने के बाद भी पेयजल से वंचित 22 घरों में जलापूर्त्ति बहाल करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरीक्षण एवं योजनागत कार्यो में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है।

03. दिनांक-19.05.2026 को CGRC Portal से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के हायाघाट प्रशाखा अन्तर्गत कुल 312 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 287 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 25 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 20 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है। लंबित 25 अदद शिकायतों में से 22 अदद शिकायतें 30 दिनों से ज्यादा की अवधि से लंबित है।

04. सुश्री कीर्ति शर्मा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रशाखा-हायाघाट के स्तर से CGRC Portal पर कुल 287 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 20 अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया है।

05. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों एवं ग्राम पंचायत-सिधौली के वार्ड संख्या-01 एवं 02 से संबंधित योजना के बंद रहने तथा वार्ड संख्या-02 से संबंधित योजना का निरीक्षण लगभग 15 माह की पदस्थापन अवधि में नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि सुश्री शर्मा द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-543, दिनांक-28.06.2021 एवं संकल्प संख्या-1676, दिनांक-12.08.2024 के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन नहीं कराते हुए घोर लापरवाही बरती जा रही है। विभागीय संकल्पों में वर्णित प्रावधानानुसार कनीय अभियंताओं के स्तर से कम-से-कम प्रति माह 25 अदद योजनाओं का निरीक्षण करते हुए MIS Portal पर तत्संबंधी प्रतिवेदन Upload किया जाना है। CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों से स्पष्ट है कि सुश्री शर्मा द्वारा योजनाओं का विभागीय मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। CGRC Portal पर पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने से स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन Upload कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण कनीय अभियंताओं की विभागीय रैंकिंग में सुश्री शर्मा 470वें स्थान पर हैं, जो अत्यंत ही दयनीय है।

06. शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं किये जाने एवं योजना के बंद रहने से सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना से आच्छादित ग्रामीण शुद्ध पेयजलापूर्त्ति के लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में पूर्व में भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में सुश्री शर्मा को CGRC Portal पर लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद सुश्री शर्मा के क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया है। सुश्री शर्मा के स्तर से संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु कोई प्रस्ताव भी वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। सुश्री शर्मा के उक्त प्रशाखा में पदस्थापित रहने से विभागीय योजनाओं के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

07. सुश्री शर्मा का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सुश्री शर्मा प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत सुश्री शर्मा को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में सुश्री कीर्ति शर्मा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रशाखा-हायाघाट को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

08. निलंबन अवधि में सुश्री शर्मा का मुख्यालय, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी रहेगा।

09. निलंबन के दौरान सुश्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

19/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1015/2026— 1042 पटना, दिनांक- 19/5/26

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1015/2026— 1042 पटना, दिनांक- 19/5/26

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०/कार्य०प्र०) कोषांग/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, दरभंगा/गयाजी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सुश्री कीर्ति शर्मा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रशाखा-हायाघाट/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)